भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA



प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 21] दिल्ली, मई 27—जून 2, 2011, बृहस्पतिवार/ज्येष्ठ 6—ज्येष्ठ 12, 1933 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 46, 49, 55 No. 21] DELHI, MAY 27—JUNE 2, 2011, THURSDAY/JYAISTHA 6—JYAISTHA 12, 1933 [N.C.T.D. No. 46, 49, 55

भाग—IV PART—IV

भाग-1 में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण आदेश

दिल्ली, 1 जून, 2011

सं. फा.10 (1818)/मु.स. (मुख्या)/स.शु,/12874.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री भद्राश्री इस्टेट् एण्ड कन्सलटैन्ट प्रा. लि., गेट नं.-3, पहली मॉजल, जीवन तारा भवन, 5-पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,60,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 50001 से 66000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 16,000 (रुपये सोलह हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE AUTHORITY ORDERS

Delhi, the 1st June, 2011

F.No. 10(1818)/COS(HQ)/Cons.Duty/12874.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of

2032 DG/2011

(107)

sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Bhadrashree Estate and Consultant Pvt.Ltd., Gate No. 3, 1st Floor, Jeevan Tara Building, 5, Parliament Strret, New Delhi-110001, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 16,000 (Rs. Sixteen Thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,60,00,000 for Equity Shares certificates with distinctive Nos.50001 to 66000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1821)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12875.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एक्सानाडु इन्फ्राटेक प्रा. लि., सी-23, ग्रेटर कैलाश एन्कलेव, पार्ट-I, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मुल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F.No. 10(1821)/COS(HQ)/Cons.Duty/12875.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Xanadu Infratech Pvt.Ltd., C-23, Greater Kailash Enclave, Part-I,New Delhi-110048, shall pay a consolidated stamp duty of $\overline{\mathbf{x}}$. 100 (Rs. One Hundred) only on the aggregate value of shares of $\overline{\mathbf{x}}$ 1,00,000 for Equity Shares certificate with distinctive Nos. 01 to 10,000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1808)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12876.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार को अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एरकॉन फाइनेन्स प्रा. लि., 1ए-डी, वन्दना, 11 टॉल्सटाय मार्ग, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 2,05,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 20,60,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 20,500 (रुपये बीस हजार पॉच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F.No. 10(1808)/COS(HQ)/Cons.Duty/12876.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Arcon Finance Pvt. Ltd., 1A-D, Vandhna, 11 Tolstoy Marg, New Delhi-110001, shall pay a consolidated stamp duty of \overline{x} . 20,500 (Rs. Twenty Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of \overline{x} 2,05,00,000 for Equity Shares certificates with distinctive Nos. 10,001 to 20,60,000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1805)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12877.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार को अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री रामजी लाल इनवेस्टमेंट प्रा. लि., डी-14/8, मॉडल टाऊन-II, नई दिल्ली-110009, द्वारा जारे किए जाने वाले ₹ 4,07,96,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 90,041 से 4,98,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 40,796 (रुपये चालीस हजार सात सौ छियानवे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F.No. 10(1805)/COS(HQ)/Cons.Duty/12877 .- In

exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Ramji Lal Investments Pvt.Ltd., D-14/8, Model Town-II, New Delhi-110009, shall pay a consolidated stamp duty of $\overline{\mathbf{x}}$. 40,796 (Rs. Forty Thousand Seven Hundred Ninety Six) only on the aggregate value of shares of $\overline{\mathbf{x}}$ 4,07,96,000 for Equity Shares certificates with distinctive Nos. 90,041 to 4,98,000 to be issued by the said company.

[PART IV

सं. फा.10 (1822)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12878.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एक्सानाडु इस्टेट्स प्रा. लि., सी-23, ग्रेटर कैलाश एन्कलेव, पार्ट-I, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F.No. 10(1822)/COS(HQ)/Cons.Duty/12878.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Xanadu States Pvt.Ltd., C-23, Greater Kailash Enclave, Part-I, New Delhi-110048, shall pay a consolidated stamp duty of $\overline{\mathbf{x}}$. 100 (Rs. One Hundred) only on the aggregate value of shares of $\overline{\mathbf{x}}$ 1,00,000 for Equity Shares certificate with distinctive Nos. 01 to 10,000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1710)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12879.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एएक्सए असिस्टेन्स इण्डिया प्रा. लि., 112, जोर बाग, नई दिल्ली-110003, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,49,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 13,60,001 से 28,50,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 14,900 (रुपये चौदह हजार नौ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F.No. 10(1710)/COS(HQ)/Cons.Duty/12879.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E)

C...:

dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. AXA Assistance India Pvt.Ltd., 112, Jor Bagh, New Delhi-110003, shall pay a consolidated stamp duty of $\overline{\mathbf{C}}$. 14,900 (Rs. Fourteen Thousand Nine Hundred) only on the aggregate value of shares of $\overline{\mathbf{C}}$ 1,49,00,000 for issue Equity Share bearing distinctive No. 13,60,001 to 28,50,000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1826)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12880.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार को अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री जेडोरे (इण्डिया) प्रा. लि., सी-226, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110024, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 2,40,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 24,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 24,000 (रुपये चौब्बीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F.No. 10(1826)/COS(HQ)/Cons.Duty/12880.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Gedore (India) Pvt. Ltd., C-226, Defence Colony, New Delhi-110024, shall pay a consolidated stamp duty of ₹. 24,000 (Rs. Twenty Four Thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 2,40,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 1 to 24,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1797)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12881.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सिल्वर सैण्डस इस्टेट्स प्रा. लि., सी-23, ग्रेटर कैलाश एन्कलेव, पार्ट-I, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले र 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क र 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F.No. 10(1797)/COS(HQ)/Cons.Duty/12881.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Silver Sands Estates Pvt. Ltd., C-23, Greater Kailash Enclave Part-I New Delhi-110048 shall pave consolidated stamp duty of $\overline{\mathbf{x}}$ 100 (Rs. One Hundred) only on the aggregate value of shares of $\overline{\mathbf{x}}$. 1,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 01 to 10,000 to be issued by the said comapny.

109

सं. फा.10 (1803)/मु.स. (मुख्या.)/स.शू./12882.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री जेसीडिकॉक्स एडवरटाइजिंग इण्डिया प्रा. लि., 231, ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज-III, नई दिल्ली-110020, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 12,00,000 पूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,22,02,301 से 2,42,02,300 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,20,000 (रुपये एक लाख बीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F.No. 10(1803)/COS(HQ)/Cons.Duty/12882.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Jcdecaux Advertising India.Pvt.Ltd., 231, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi-110020, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,20,000 (Rs. One Lakh Twenty Thousand) only on the aggregate value of shares of ₹. 12,00,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 1,22,02,301 to 2,42,02,300 to be issued by the said comapny.

सं. फा.10 (1814)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12883.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एलैक्ता मेडिकल सिस्टम (इण्डिया) प्रा. लि., 6/41, सुन्दर किरण भवन, 209, डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली-110005 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 12,61,65,120 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 1,26,26,512 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रे 1,26,166 (रुपये एक लाख छब्बीस हजार एक सौ छियासठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F.No. 10(1814)/COS(HQ)/Cons.Duty/12883.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian StampAct, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Elekta Medical Systems India Pvt. Ltd., 6/41. Sunder Kiran Building, 209, W.E.A. Karol Bagh, New Delhi-110005, shall pay a consolidated stamp duty of $\overline{\mathbf{x}}$ 1,26,166 (Rs. One Lakh Twenty Six Thousand One Hundred Sixty Six) only on the aggregate value of shares of $\overline{\mathbf{x}}$. 12,61,65,120 for equity shares certificates with distinctive Nos. 10,001 to 1,26,26,512 to be issued by the said comapny.

सं. फा.10 (1824)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12885.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सीक्वॅल बिल्डकॉन प्रा. लि., सी-23, ग्रेटर कैलाश एकलेव, पार्ट-I, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले र 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क र 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F.No. 10(1824)/COS(HQ)/Cons.Duty/12885.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Sequel Buildcon pvt. Ltd., C-23, Greater Kailash Enclave, Part-I, New Delhi-110048, shall pay a consolidated stamp duty of $\overline{\mathbf{x}}$ 100 (Rs. One Hundred) only on the aggregate value of shares of $\overline{\mathbf{x}}$. 1,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 01 to 10,000 to be issued by the said comapny.

सं. फा.10 (1798)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12886.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सिल्वर सैण्डस रीयलटेक प्रा. लि., सी-23, ग्रेटर कैलाश एन्कलेव, पार्ट-I, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F.No. 10(1798)/COS(HQ)/Cons.Duty/12886.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Silver Sands Realtech Pvt. Ltd., C-23, Greater Kailash Enclave, Part-I, New Delhi-110048, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rs. One Hundred) only on the aggregate value of shares of $\overline{\mathbf{x}}$. 1,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 01 to 10,000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1823) ⁄ मु.स. (मुख्या.) ⁄ स.शु. / 12887.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एक्सानाडु रीयलकॉन प्रा. लि., सी-23, ग्रेटर कैलाश एन्कलेव, पार्ट-I, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले र 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क र 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F.No. 10(1823)/COS(HQ)/Cons.Duty/12887.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Xanadu Realcon Pvt. Ltd., C-23, Greater Kailash Enclave, Part-I, New Delhi-110048, shall pay a consolidated stamp duty of $\overline{\mathbf{x}}$ 100 (Rs. One Hundred) only on the aggregate value of shares of $\overline{\mathbf{x}}$. 1,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 01 to 10,000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1800)⁄मु.स. (मुख्या.)⁄स.शु./12888.---गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सिल्वर सैण्डस बिल्डमार्ट प्रा. लि., सी-23, ग्रेटर कैलाश एन्कलेव, पार्ट-I, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले र 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क र 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F.No. 10(1800)/COS(HQ)/Cons.Duty/12888.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Silver Sands Buildmart Pvt. Ltd., C-23, Greater Kailash Enclave, Part-I, New Delhi-110048, shall pay a consolidated stamp duty of $\overline{\mathbf{x}}$ 100 (Rs. One Hundred) only on the aggregate value of shares of $\overline{\mathbf{x}}$. 1,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 01 to 10,000 to be issued by the said company. सं. फा.10 (1794)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12891.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सैंको गोसे टेक्नोलॉजी इण्डिया प्रा. लि., 7, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 20,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 2,10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 2,000 (रुपये दो हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F.No. 10(1794)/COS(HQ)/Cons.Duty/12891.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Sanko Gosei Technology India Pt. Ltd., 7, Barakhamba Road, New Delhi-110001, shall pay a consolidated stamp duty of ₹2,000 (Rs. Two Thousand) only on the aggregate value of shares of ₹. 20,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 10,001 to 2,10,000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1789)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12892.—-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पद्मिनी वीएनए मैक्ट्रोनिक्स प्रा. लि., 5, पद्मिनी एन्कलेव, हौज खास, नई दिल्ली-110016, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,30,87,854 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 11,783 से 12,952 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F.No. 10(1789)/COS(HQ)/Cons.Duty/12892.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Padmini VNA Mechatronics Pvt. Ltd., 5, Padmini Enclave, Hauz Khas, New Delhi-110016, shall pay a consolidated stamp duty of $\overline{\mathbf{x}}$ 13,088 (Rs. Thirteen Thousand Eighty Eight) only on the aggregate value of shares of $\overline{\mathbf{x}}$. 1,30,87,854 for equity shares certificates with distinctive Nos. 11,783 to 12,952 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1735)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12893.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार को अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मंद्रांक शल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री डेल डवलपर्स प्रा. लि., फ्लैट नं. 621ए, छठी मॉजिल, देविका टावर्स, 6, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 19,99,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 2,00,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,99,900 (रुपये एक लाख निन्यानवे हजार नौ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F.No. 10(1735)/COS(HQ)/Cons.Duty/12893.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Dale Developers Pvt. Ltd., Flat No. 621-A, 6th Floor, Devika Towers, 6, Nehru Place, New Delhi-110019, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,99,900 (Rs. One Lakh Ninety Nine Thousand Nine Hundred) only on the aggregate value of shares of ₹. 19,99,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 10,001 to 200,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1820)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12894.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एक्सानाडु इन्फ्राडवलपर्स प्रा. लि., सी-23, ग्रेटर कैलाश एन्कलेव, पार्ट-1, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले र 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क र 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F.No. 10(1820)/COS(HQ)/Cons.Duty/12894.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Xanadu Infradevelpoers Pvt. Ltd., C-23, Greater Kailash Enclave, Part-I, New Delhi-110048, shall pay a consolidated stamp duty of $\overline{\mathbf{x}}$ 100 (Rs. One Hundred) only on the aggregate value of shares of $\overline{\mathbf{x}}$. 1,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 01 to 10,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1825)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12895.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एमएमटीसी-पीएएमपी इण्डिया प्रा. लि., 73, पश्चिमी मार्ग, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 12,53,99,400 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 4,70,40,001 से 5,95,79,940 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,25,400 (रुपये एक लाख पच्चीस हजार चार सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F.No. 10(1825)/COS(HQ)/Cons.Duty/12895.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. MMTC-PAMP India Pvt. Ltd., 73, Paschimi Marg, Vasant Vihar, New Delhi-110057, shall pay a consolidated stamp duty of $\overline{\mathbf{x}}$ 1,25,400 (Rs. One Lakh Twenty Five Thousand Four Hundred) only on the aggregate value of shares of $\overline{\mathbf{x}}$ 12,53,99,400 for issue of equity shares certificates with distinctive Nos. 4,70,40,001to 5,95,79,940 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1776)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12896.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री धर्मपाल सत्यपाल लि., 1711, एस.पी. मुखर्जी मार्ग, नई दिल्ली-110017, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 50,00,00,000 मूल्य के 500 सिक्योर्ड लिस्टेड रेटेड रीडिमेबल नन-कनवर्टीबल प्राइवेटली प्लेस्ड जो कि डिबेन्चर्स (सीरीज-1) डीमेट फॉर्म के रूप में है, जिनकी पृथक संख्या 1 से 500 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 12,50,000 (रुपये बारह लाख पचास हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F.No. 10(1776)/COS(HQ)/Cons.Duty/12896.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Dharampal Satyapal Limited, 1711, S.P. Mukherjee Marg, New Delhi-110006, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 12,50,000 (Rs. Twelve Lac Fifty Thousand) only on the aggregate value of debentures of ₹ 50,00,00,000 for issue of 500 Secured listed rated Redeemable Non-Convertible Privately Placed Debentures Series 1 in demat form with distinctive Nos. 1 to 500 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1817)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12897.---गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 को उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सनराइज बुक्स प्रा. लि., 32/33ए, स्ट्रीट नं. 9, भीकम सिंह कॉलोनी, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 0001 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

PART IV

F.No. 10(1817)/COS(HQ)/Cons.Duty/12897.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Sunrise Books Pvt. Ltd., 32/33A, Street No. 9, Bhikam Singh Colony, Vishwas Nagar, Shahdara, Delhi-110032, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rs. One Hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for issue of equity shares certificates with distinctive Nos. 0001to 10,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1767)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12898.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सरेन्स हैवी लिफ्ट इण्डिया प्रा. लि., एफ-90/25, ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110020, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 17,50,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 1,75,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,75,000 (रुपये एक लाख पिच्चहत्तर हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F. No. 10(1767)/COS(HQ)/Cons.Duty/12898.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Sarens Heavy Lift India Pvt. Ltd., F-90/25, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,75,000 (Rs. One Lakh Seventy Five Thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 17,50,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 1 to 1,75,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1801)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12899.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सिल्वर सैण्डस डवलपर्स प्रा. लि., सी-23, ग्रेटर कैलाश एन्कलेव, पार्ट-I, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

Part IV

F. No. 10(1801)/COS(HQ)/Cons.Duty/12899.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Silver Sands Developers Pvt. Ltd., C-23, Greater Kailash Enclave, Part-I, New Delhi-110048, shall pay a consolidated stamp duty of $\overline{\mathbf{x}}$ 100 (Rs. One Hundred only) on the aggregate value of shares of $\overline{\mathbf{x}}$ 1,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 01 to 10,000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1819)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12900.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इण्डीग्राम स्किल एण्ड नॉलेज इनिसियेटिवस प्रा. लि., 23, जमरुदपुर कम्युनिटी सेन्टर, कैलाश कॉलोनी एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 22,40,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 6,50,001 से 8,74,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 2,240 (रुपये दो हजार दो सौ चालीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F. No. 10(1819)/COS(HQ)/Cons.Duty/12900.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Indigram Skill and Knowledge Initiatives Pvt. Ltd., 23, Zamrudpur Community Centre, Kailash Colony Extension, New Delhi-110048, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 2,240 (Rs. Two Thousand Two Hundred Forty) only on the aggregate value of shares of ₹. 22,40,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 6,50,001 to 8,74,000 to be issued by the said company,

सं. फा.10 (1809)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12901.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पीईबी स्टील लॉयड (इण्डिया) लि., पुंज स्टार प्रीमिसेज, 2, कालकाजी इण्डस्ट्रीयल एरिया, नई दिल्ली-110019, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 10,00,00,000 मूल्य के प्रिफिरेन्स शेयरों जिनकी पृथक संख्या पीआर 1 से पीआर 10,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,00,000 (रुपये एक लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F.No. 10(1809)/COS(HQ)/Cons.Duty/12901.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. PEB Steel Llyod (India) Ltd., Punj Star Premises, 2, Kalkaji Industrial Area, New Delhi-110019, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,00,000 (Rs. One Lakh) only on the aggregate value of shares of ₹ 10,00,00,000 for preference shares certificates with distinctive Nos. PR 1 to PR 10,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1815)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12902.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री नाइट्रेक्स केमिकल्स (इण्डिया) लि., 1212-13, अंसल टावर, 38, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 10,74,62,000 मूल्य के प्रिफरेन्स शेयरों जिनकी पृथक संख्या 001 से 1,07,46,200 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,07,462 (रुपये एक लाख सात हजार चार सौ बासठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F. No. 10(1815)/COS(HQ)/Cons.Duty/12902.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Nitrex Chemicals India Ltd., 1212-13, Ansal Towers, 38, Nehru Place, New Delhi-110019, shall pay a consolidated stamp duty of $\overline{\mathbf{x}}$ 1,07,462 (Rs. One Lakh Seven Thousand Four Hundred Sixty Two) only on the aggregate value of shares of $\overline{\mathbf{x}}$. 10,74,62,000 for preference shares certificates with distinctive Nos. 001 to 1,07,46,200 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1793)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12903.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क

अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री नोवा एक्जिम सोल्युशन्स प्रा. लि., बी-70, आनन्द विहार, दिल्ली-110092, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 54,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 5,50,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 5,400 (रुपये पांच हजार चार सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F. No. 10(1793)/COS(HQ)/Cons.Duty/12903.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Nova Exim Solutions Pvt. Ltd., B-70, Anand Vihar, Delhi-110092, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 5,400 (Rs. Five Thousand Four Hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 54,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 10,001 to 5,50,000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1791)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12904.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी; 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस प्रा. लि., 4831/24, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 9,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 1,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 900 (रुपये नौ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F.No. 10(1791)/COS(HQ)/Cons.Duty/12904.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Discovery Publishing House Pvt. Ltd., 4831/24, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110002, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 900 (Rs. Nine Hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 9,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 10,001 to 1,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1795)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12905.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार को अधिसूचना सं का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 को उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पी. आर. पैकेजिंगस लि., 4530/ए, 7/26, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 25,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 24,48,429 से 24,53,428 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 2,500 (रुपये दो हजार पॉच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F. No. 10(1795)/COS(HQ)/Cons.Duty/12905.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. P. R. Packaging Limited, 4530/A, 7/26, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110002, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 2,500 (Rs. Two Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 25,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 24,48,429 to 24,53,428 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1807)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12906.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 को उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री शार्प मेन्थॉल इण्डिया लि., पहली मंजिल, प्लॉट नं.-9, सागर सेन्टर, गुजरावलान टाऊन, दिल्ली-110009, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 52,41,00,150 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2,52,01,151 से 3,21,89,152 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 5,24,101 (रुपये पॉच लाख चौबीस हजार एक सौ एक) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F. No. 10(1807)/COS(HQ)/Cons. Duty/12906.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Sharp Menthol India Limited, 1st Floor, Plot No.9, Sager Centre, Gujrawalan Town, Delhi-110009, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 5,24,101 (Rs. Five Lakh Twenty Four Thousand One Hundred One) only on the aggregate value of shares of ₹. 52,41,00,150 for equity shares certificates with distinctive Nos. 2,52,01,151 to 3,21,89,152 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1749)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12907.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी

क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री वैल्यूफर्स्ट मैसेजिंग प्रा. लि., आइई/18, चौथी मंजिल, इण्डेवलान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 59,760 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,35,439 से 1,41,414 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 60 (रुपये साठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F. No. 10 (1749)/COS(HQ)/Cons. Duty/12907.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Valuefirst Messaging Pvt. Ltd., IE/18, 4th Floor, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055, shall pay a consolidated stamp duty of $\overline{\mathbf{x}}$ 60 (Rs. Sixty only) on the aggregate value of shares of $\overline{\mathbf{x}}$. 59,760 for equity shares certificates with distinctive Nos. 1,35,439 to 1,41,414 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1756)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12908.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री वैल्यूफर्स्ट मैसेजिंग प्रा. लि., आइई/18, चौथी मंजिल, झण्डेवलान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055, द्वारा जारी किए जाने वाले र 69,99,96,580 मूल्य के इक्विटी और प्रिफरेन्स शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,41,415 से 1,41,514 इक्विटी शेयरों के लिए और 10,001 से 55,100 प्रिफरेन्स शेयरों के लिए है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क र 6,99,997 (रुपये छ: लाख निन्यानवे हजार नौ सौ सत्तानवे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F. No. 10(1756)/COS(HQ)/Cons. Duty/12908.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Valuefirst Messaging Pvt. Ltd., IE/18, 4th Floor, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 6,99,997 (Rs. Six Lakh Ninety Nine Thousand Nine Hundred Ninety Seven) only on the aggregate value of shares of ₹. 69,99,96,580 for equity & preference shares certificates with distinctive Nos. for equity shares 1,41,415 to 1,41,514 and for preference shares 10,001 to 55,100 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1827)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु/12913.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के २०३२ बि. दे/ ग - 3 खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्र सिक्योर नाव इन्श्योरेन्स ब्रोकर प्रा. लि., सी-4/4, सफदरजंग डवलपमें एरिया, नई दिल्ली-110016, द्वारा जारी किए जाने वाल ₹ 60,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 0,00,001 स 6,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 6,000 (रुपये छ: हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

11

F. No. 10 (1827)/COS(HQ)/Cons. Duty/12913.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Secure Now Insurance Broker Pvt. Ltd., C-4/4, Safdar-Jung Development Area, New Delhi-110016, shall pay a consolidated stamp duty of $\overline{\xi}$ 6,000 (Rs. Six Thousand) only on the aggregate value of shares of $\overline{\xi}$. 60,00,000 for equity shares being distinctive No. 0,00,001 to 6,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1834)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12914.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सिल्वराडो इस्टेट्स प्रा. लि., सी-23, ग्रेटर कैलाश एन्कलेव, पार्ट-I, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले र 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क र 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F. No. 10 (1834)/COS(HQ)/Cons. Duty/12914.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Silverado Estates Pvt. Ltd., C-23, Greater Kailash Enclave, Part-I, New Delhi-110048, shall pay a consolidated stamp duty of $\overline{\mathbf{x}}$ 100 (Rs. One Hundred) only on the aggregate value of shares of $\overline{\mathbf{x}}$. 1,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 01 to 10,000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1829)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12915.---गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री स्टोर्क एचकेबी इण्डिया प्रा. लि., ए-305, सोमदत्त चैम्बर्स-I, 5, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 93,36,768 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2,10,001 से 4,32,304 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 9,337(रुपये नौ हजार तीन सौ सैंतीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

116

F. No. 10 (1829)/COS(HQ)/Cons. Duty/12915.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Stork HKB India Pvt. Ltd., A-305, Somdutt Chamber-I, 5, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 9,337 (Rs. Nine Thousand Three Hundred Thirty Seven) only on the aggregate value of shares of ₹. 93,36,768 for equity shares certificates with distinctive Nos. 2,10,001 to 4,32,304 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1828)/मु.स. (मुख्या.)/स.शू./12916.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री कॉसलाइट इण्डिया टेलिकॉम प्रा. लि., सी-160, जेवीटीएस गार्डेनस, छत्तरपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110074, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 10,55,68,240 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 4,03,06,671 से 5,08,63,494 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,05,569 (रुपये एक लाख पांच हजार सौ उन्हत्तर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F. No. 10 (1828)/COS(HQ)/Cons. Duty/12916.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Coslight India Telecom Pvt. Ltd., C-160, JVTS Gardens, Chhatarpur Extension, New Delhi-110074, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,055,669 (Rs. One Lakh Five Thousand Five Hundred Sixty Nine) only on the aggregate value of shares of ₹. 10,55,68,240 for equity shares certificates with distinctive Nos. 4,03,06,671 to 5,08,63,494 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1858)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12917.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार को अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) दारा प्रदत्त अधिकायों का प्रयोग करने हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री बेसिक्स एकेडमी फॉर बिल्डिंग लाइफलॉन्ग इॅपलॉयऐबिलिटी लि., डी-9, पहली मंजिल, ग्रेटर कैलाश एन्कलेव-1, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 35,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 7,00,001 से 10,50,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 3,500 (रुपये तीन हजार पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

PART IV

F. No. 10 (1858)/COS(HQ)/Cons. Duty/12917.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Basix Academy For Building Lifelong Employability Ltd., D-9, First Floor, Greater Kailash Enclave-I, New Delhi-110048, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 3,500 (Rs. Three Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of ₹. 35,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 7,00,001 to 10,50,000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1833)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12918.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सीक्वल बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स प्रा. लि., सी-23, ग्रेटर कैलाश एन्कलेव, पार्ट-I, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले र 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क र 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F.No. 10(1833)/COS(HQ)/Cons.Duty/12918.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Sequel Building Concepts Pvt. Ltd., C-23, Greater Kailash Enclave, Part-I, New Delhi-110048, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rs. One Hundred) only on the aggregate value of shares of ₹. 1,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 01 to 10,000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1792)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12919.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं इस्टेट, फेज-III, नई दिल्ली-110020, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 56,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,01,481 से 1,02,040 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 5,60,000 (रुपये पॉॅंच लाख साठ हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F.No. 10(1792)/COS(HQ)/Cons.Duty/12919.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Yaklut Danone India Pvt.Ltd., 52-Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi-110020, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 5,60,000 (Rs. Five Lakh Sixty Thousand) only on the aggregate value of shares of ₹. 56,00,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 1,01,481 to 1,02,040 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1871)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12920.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एक्सट्रिया इण्डिया प्रा. लि., ए-1/292, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 11,09,955 मूल्य के इक्विटी शेयग्रे जिनकी पृथक संख्या 0,001 से 11,456 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,110 (रुपये एक हजार एक सौ दस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F.No. 10(1871)/COS(HQ)/Cons.Duty/12920.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Axtria India Pvt.Ltd., A-1/292, Janakpuri, New Delhi-110058, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,110 (Rs. One Thousand One Hundred Ten only) on the aggregate value of shares of ₹. 11,09,955 for issue of equity shares being distinctive Nos. 0,001 to 11,456 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1846)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12921.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार को अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री प्रीमीयम फार्म फ्रैस प्रोड्यूस लि., एलजीएफ, वर्ल्ड ट्रैड सेन्टर, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने 1,15,70,001 से 2,20,20,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,04,500 (रुपये एक लाख चार हजार पॉॅंच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1846)/COS(HQ)/Cons. Duty/12921.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Premium, Farm Fresh Produce Limited, LGF, World Trade Centre, Barakhamba Road, New Delhi-110001, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,04,500 (Rs. One Lakh FourThousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of ₹. 10,45,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 1,15,70,001 to 2,20,20,000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1840)/मु.स. (मुख्या.)/स.श्./12922.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री डी 1ऑयल्स फ्यूल क्राप्स इण्डिया प्रा. लि., इण्टरनेशनल बिजनेस सेन्टर, एम-38/1, मिडिल सर्कल, कनॉट प्लेस, हर्षा भवन के पास, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 3,08,16,150 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 56,42,324 से 62,58,646 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 30,817 (रुपये तीस हजार आठ सौ सत्रहे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F.No. 10(1840)/COS(HQ)/Cons.Duty/12922.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. D 1 Oils Fuel Crops India Pvt.Ltd., International Business Centre, M-38/1, Middle Circle, Connaught Place, Near Harsha Bhawan, New Delhi-110001, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 30,817 (Rs. Thiry Thousand Eight Hundred Seventeen only) on the aggregate value of shares of ₹. 3,08,16,150 for equity shares certificates with distinctive Nos. 56,42,324 to 62,58,646 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1839)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12923.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एसटी एड्वाइजर्स

जाने वाले ₹ 4,48,74,900 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनको पृथक संख्या 51,78,655 से 58,19,724 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 44,875 (रुपये चव्वालीस हजार आठ सौ पिच्चहत्तर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F.No. 10(1839)/COS(HQ)/Cons.Duty/12923.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Estee Advisor Pvt. Ltd., J-6A, Kailash Colony, New Delhi-110048, shall pay a consolidated stamp duty of ₹44,875 (Rs. Forty Four Thousand Eight Hundred Seventy Five) only on the aggregate value of shares of ₹.4,48,74,900 for equity shares certificates with distinctive Nos. 51,78,655 to 58,19,724 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1865)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12924.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री स्मिथस डीटेक्शन वीकॉन सिस्ट्म्स प्रा. लि., बी-58, शिवालिक, मालवीय नगर, दिल्ली-110017, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 37,91,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 3,79,20,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 3,79,100 (रुपये तीन लाख उन्नासी हजार एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F.No. 10(1865)/COS(HQ)/Cons.Duty/12924.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Smiths Detection Veecon Systems Pvt. Ltd., B-58, Shivalik, Malviya Nagar, Delhi-110017, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 3,79,100 (Rs. Three Lakh Seventy Nine Thousand One Hundred) only on the aggregate value of shares of ₹. 37,91,00,000 for issue of equity shares certificates with distinctive Nos. 10,001 to 3,79,20,000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1838)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12925— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सिल्वराडो इन्फ्राडवलयर्स प्रा. लि., सी-23, ग्रेटर कैलाश एन्कलेव, पार्ट-1, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वात ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 3 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी

F.No. 10(1838)/COS(HQ)/Cons.Duty/12925.—Ii exercise of the powers conferred by clause (b) o sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs tha M/s. Silverado Infradevelpoers Pvt. Ltd., C-23, Greater Kailash Enclave, Part-I, New Delhi-110048, shall pay a consolidated stamp duty of $\overline{\mathbf{x}}$ 100 (Rs. One Hundred) only on the aggregate value of shares of $\overline{\mathbf{x}}$ 1,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 01 to 10,000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1900)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12926.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते है कि सर्वश्री रुचिका इन्जीनियरिंग प्रा. लि., सी-5, महारानी बाग, नई दिल्ली-110065, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 4,90,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 24,50,001 से 73,50,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 49,000 (रुपये उन्नचास हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F.No. 10(1900)/COS(HQ)/Cons.Duty/12926.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian StampAct, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Ruchika Engineering Pvt. Ltd., C-5, Maharani Bagh, New Delhi-110065, shall pay a consolidated stamp duty of ₹49,000 (Rs. Forty Nine Thousand only) on the aggregate value of shares of ₹. 4,90,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 24,50,001 to 73,50,000 and to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1848)⁄मु.स. (मुख्या.)⁄स.शु./12927.---गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री दशमेश प्रोमोर्टस एण्ड डवलपर्स प्रा. लि., सी-23, ग्रेटर कैलाश एनकलेव, पार्ट-I, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 5,20,000 मुल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 38,001 से 90,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 520 (रुपये पांच सौ बीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F.No. 10(1848)/COS(HQ)/Cons.Duty/12927.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Dashmesh Promotors and Developers Pvt. Ltd., C-23, Greater Kailash Enclave, Part-I, New Delhi-110048, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 520 (Rs. Five Hundred Twenty only) on the aggregate value of shares of ₹. 5,20,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 38,001 to 90,000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1816)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12928.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री जेनरेकॉन इओलसिया इण्डिया लि., डी-28, दूसरी मंजिल, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-I, नई दिल्ली-110049, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,98,29,700 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 4,35,06,197 से 4,44,97,681 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 19,830 (रुपये उन्नीस हजार आठ सौ तीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F.No. 10(1816)/COS(HQ)/Cons.Duty/12928.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Generacion Eolica India Ltd., D-28, IInd Floor, South Extension, Part-I, New Delhi-110049, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 19,830 (Rs. Nineteen Thousand Eight Hundred Thirty only) on the aggregate value of shares of ₹. 1,98,29,700 for equity shares certificates with distinctive Nos. 4,35,06,197 to 4,44,97,681 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1832)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12929.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री टर्नर एण्ड टाउनसेन्ड प्रा. लि., 17, सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली-110003, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 6,91,33,470 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी **1032** 20 पृथक संख्या 3,03,941 से 19,49,975 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 69,134 (रुपये उन्हत्तर हजार एक सौ चौतीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

119

F.No. 10(1832)/COS(HQ)/Cons.Duty/12929.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Turner & Townsend Pvt. Ltd., 17, Subhash Marg, Darya Ganj, New Delhi-110003, shall pay a consolidated stamp duty of $\overline{<}$ 69,134 (Rs. Sixty Nine Thousand One Hundred Thirty Four only) on the aggregate value of shares of $\overline{<}$ 6,91,33,470 for equity shares certificates with distinctive Nos. 3,03,941 to 19,49,975 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1843)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12930.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री आरएसए ऐक्चुऐरियल सर्विसेज (इण्डिया) प्रा. लि., ए-38, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,18,15,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 11,81,500 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 11,815 (रुपये ग्यारह हजार आठ सौ पन्द्रह) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F.No. 10(1843)/COS(HQ)/Cons.Duty/12930.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. RSA Actuarial Services (India) Pvt. Ltd., A-38, Kailash Colony, New Delhi-110048, shall pay a consolidated stamp duty of $\overline{\mathbf{x}}$ 11,815 (Rs. Eleven Thousand Eight Hundred Fifteen only) on the aggregate value of shares of $\overline{\mathbf{x}}$. 1,18,15,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 1 to 11,81,500 to be issued by the said company.

सं फा.10 (1847)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12931.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री किवी इन्टरप्राइजेज प्रा. लि., आरजेड-ए/4, द्वारका, पुरीविजय एनकलेव, नई दिल्ली-110045, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 7,50,00,000 मूल्य के इक्वियी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 75,10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 75,000 (रुपये पिच्चहत्तर हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F.No. 10(1847)/COS(HQ)/Cons.Duty/12931.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Kiwi Enterprises Pvt. Ltd., RZ-A/4, Dwarka Purivijay Enclave, New Delhi-110045, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 75,000 (Rs. Seventy Five Thousand only) on the aggregate value of shares of ₹. 7,50,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 10,001 to 75,10,000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1842)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12932.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सेकेण्ड स्कूल लर्निंग प्रा. लि., 4375, सेक्टर-बी, पॉकेट-5 और 6, वसन्त कुंज, नई दिल्ली-110070, द्वारा जारी किए जाने वाले र 3,50,00,000 मूल्य के 1,000 ऑपश्नली-कनवर्टीबल जो कि डिबेन्चर के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 000001 से 001000; सीरीज ए है और 3,49,000 ऑपश्नली-कनवर्टीबल जो कि डिबेन्चर के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 001001 से 350000; सीरीज बी है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क र 87,500 (रुपये सत्तासी हजार पाँच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F.No. 10(1842)/COS(HQ)/Cons.Duty/12932.-In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Second School Learning Pvt. Ltd., 4375, Sector-B, Pocket-5&6, Vasant Kunj, New Delhi-110070, shall pay a consolidated stamp duty of ₹87,500 (Rs. Eighty Seven Thousand Five Hundred only) on the aggregate value of debentures of ₹. 3,50,00,000 for issue of 1,000 series A 0,0001% Optionally-convertible Debentures bearing distinctive No. 000001 to 001000 and 3,49,000 SeriesB 0,0001 % Optionally-convertible Debentures of bearing distinctive No. 001001 to 350000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1780)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु,/12933.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार को अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथा पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) को धारा 9 को उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शंकितयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री आर्टसना इण्डिया प्रा. लि., ए-10, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली-110016, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 23,52,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,36,501 से 12,71,700 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 2,35,200 (रुपये दो लाख पैंतीस हजार दो सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

PART IV

F.No. 10(1780)/COS(HQ)/Cons.Duty/12933.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Artsana India Pvt. Ltd., A-10, Green Park, New Delhi-110016, shall pay a consolidated stamp duty of ₹2,35,200 (Rs. Two Lakh Thirty Five Thousand Two Hundred only) on the aggregate value of shares of ₹. 23,52,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 10,36,501 to 12,71,700 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (917)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12934.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री लाइफ इन्स्योरेन्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, डी.ओ.-II, स्कोप मीनार, नौंवी मंजिल, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092, द्वारा अग्रिम मुद्रांक शुल्क के रूप मे ₹ 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़) जो कि उनके द्वारा जुलाई, 2011 से सितम्बर, 2011 तक जारी की जाने वाली विभिन्न बीमा पोलिसियों पर देय होगा । कम्पनी उक्त अवधि के समाप्त होने के तुरन्त बाद द्या उक्त मुद्रांक शुल्क के पूरी तरह उपयोग होने के तुरन्त बाद इस राशि के उपयोग का प्रमाण पत्र जो कि चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा जारी एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो इस कार्यालय में जमा करेगी ।

F.No. 10(917)/COS(HQ)/Cons.Duty/12934.-In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Life Insurance Corporation of India, D.O.-II, Scope Minar, 9th Floor, Laxmi Nagar, Delhi-110092, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,00,00,000 (Rs. One Crore) only in advance chargeable on various policy of Insurance to be issued by the said company during the period July, 2011 and September, 2011 subject to condition that company shall submit a certificate issued by Charatered Accountant and countersigned by Authorized Signatory regarding the utilization of above said stamp duty paid immediately after completion of above said period or after consumption of above amount.

सं. फा.10 (1665)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12935.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री थ्री सी होस्पिटेलिटी वेन्चर्स प्रा. लि., सी-23, ग्रेटर कैलाश एन्कलेव, पार्ट-I, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले रैं 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रा00 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F.No. 10(1665)/COS(HQ)/Cons.Duty/12935.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Three C Hospitality Ventures Pvt. Ltd., C-23, Greater Kailash Enclave, Part-I, New Delhi-110048, shall pay a consolidated stamp duty of $\overline{\mathbf{x}}$ 100 (Rs. One Hundred) only on the aggregate value of shares of $\overline{\mathbf{x}}$. 1,00,000 for Equity Shares bearing distinctive Nos. 01 to 10,000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1868)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12936.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री कैरियर लॉन्चर एजुकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसिज लि., ए-703, सरिता विहार, नई दिल्ली-110044, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 5,99,98,951 मूल्य के इक्वियटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 0,00,90,12,255 से 0,00,92,80,262 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 59,999 (रुपये उन्नसठ हजार नौ सौ निन्यानवे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F.No. 10(1868)/COS(HQ)/Cons.Duty/12936.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Career Launcher Education Infrastructure and Services Limited, A-703, Sarita Vihar, New Delhi-110044, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 59,999 (Rs. Fifty Nine Thousand Nine Hundred Ninety Nine) only on the aggregate value of shares of ₹. 5,99,98,951 for Equity Shares certificates with distinctive Nos. 0,00,90,12,255 to 0,00,92,80,262 to be issued by the said company. सं. फा.10 (1853)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12937.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री जिन्ड्रे इण्डिया कॉम्पोनेंट्स प्रा. लि., 405, लेवल-4, 6/24, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 60,23,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,50,001 से 16,52,300 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 6,023 (रुपये छ: हजार तेइस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F.No. 10(1853)/COS(HQ)/Cons.Duty/12937.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Gindre India Components Pvt. Ltd., 405, Level 4, 6/24, East Patel Nagar, New Delhi-110008, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 6,023 (Rs. Six Thousand Twenty Three) only on the aggregate value of shares of ₹. 60,23,000 for Equity Shares certificates with distinctive Nos. 10,50,001 to 16,52,300 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1802)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12938.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री शार्प मेन्थोल इण्डिया लि., पहली मंजिल, सागर सेन्टर, प्लॉट नं.-8, गुजरांवाला टाऊन, नई दिल्ली-110009, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 14,30,000,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2,30,01,151 से 2,52,01,150 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,43,000 (रुपये एक लाख तैंतालिस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के,

मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से

आर. के मिश्रा, विशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण)

F.No. 10(1802)/COS(HQ)/Cons.Duty/12938.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Sharp Menthol India Ltd., 1st Floor, Sager Centre, Plot No. 8, Gujranwalan Town, New Delhi-110009, shall pay a consolidated stamp duty of $\overline{\mathbf{x}}$ 1,43,000 (Rs. One Lakh forty Three Thousand) only on the aggregate value of shares of $\overline{\mathbf{x}}$ 14.30.00.000 for Equity Shares certificates with

distinctive Nos. 2,30,01,151 to 2,52,01,150 to be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority, Govt. of National Capital Territory of Delhi,

R.K. MISHRA, Special Inspector General (Registration)

सहकारिता विभाग

(कार्यालय पंजीयक सहकारी समितियां)

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 26 मई, 2011

संख्या: फा. 47/443/उतर पश्चिम/गृह आवास/1174.— दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम की धारा 127 (दिल्ली अधिनियम 3, 2004) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल आत्मवल्लभ सहकारी गृह आवास समिति (4/43/स.आ.) धारा 37(1)(ख) दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम 2003 (दिल्ली अधिनियम-3, 2004) के प्रावधानों से उन्मुक्त करते हैं, तथा उक्त समिति की अतिक्रमण की अवधि व प्रशासक के कार्यकाल की अवधि दिनांक 31-12-2011 अथवा समिति के प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्थापित होने तक जो भी पहले हो तक बढाई जाती है।

DEPARTMENT OF COOPERATIVE (OFFICE OF THE REGISTRAR COOP. SOCIETIES) NOTIFICATIONS

• Delhi, the 26th May, 2011

No. F. 47/443/NW/GH/1174.—In exercise of powers conferred by Section 127 of Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004) the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby exempts the Atam Vallabh Cooperative Group Housing Society Ltd (443/ GH) from the provisions of Section 37(1)(b) of Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004) and accordingly extend the period of supersession of the managing committee and the term of the Administrator of the said society upto 31-12-2011 or till the democratic setup of the society is restored whichever is earlier.

संख्या.फा.47/489/उत्तर पश्चिम/गृह आवास/1178.— दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम की धारा 127 (दिल्ली अधिनियम 3, 2004) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, न्यू मार्डन सहकारी समूह आवास समिति (489/स.आ.) धारा 37(1)(ख) दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम 2003 (दिल्ली अधिनियम-3, 2004) के प्रावधानों से उन्मुक्त करते हैं, तथा उक्त समिति की अतिक्रमण की अवधि व प्रशासक के कार्यकाल की अवधि दिनांक 30-6-2011अथवा समिति के प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्थापित होने तक जो भी पहले हो, तक बढ़ाई जाती है ।

No. F. 47/489/GH/NW/1178.—In exercise of powers conferred by Section 127 of Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004) the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby exempts the New Modern Group Housing Society Ltd. (489/GH) from the provisions of Section 37(1)(b) of Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004) and accordingly extend the period of supersession of the managing committee and the term of the Administrator of the said society upto 30-6-2011 or till the democratic setup of the society is restored whichever is earlier.

दिल्ली, 27 मई, 2011

संख्या: फा. 47/249/उत्तर पश्चिम/गृह आवास/1185.— दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम की धारा 127 (दिल्ली अधिनियम 3, 2004) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल नव सेना सहकारी गृह आवास समिति (249/स.आ.) धारा 37(1)(ख) दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम 2003 (दिल्ली अधिनियम-3, 2004) के प्रावधानों से उन्मुक्त करते हैं, तथा उक्त समिति की अतिक्रमण की अवधि व प्रशासक के कार्यकाल की अवधि दिनांक 31-07-2011 अथवा समिति के प्रजातात्रिक व्यवस्था स्थापित होने तक जो भी पहले हो बढ़ाई जाती है।

Delhi, the 27th May, 2011

No. F. 47/249/GH/NW/1185.—In exercise of powers conferred by Section 127 of Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004) the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby exempts the Nav Sena Cooperative Group Housing Society Ltd. (249/GH) from the provisions of Section 37(1)(b) of Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004) and accordingly extend the period of supersession of the managing committee and the term of the Administrator of the said society upto 31-07-2011 or till the democratic setup of the society is restored whichever is earlier.

संख्या: फा. 47/564/उत्तर पश्चिम/गृह आवास/-1188.—दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम की धारा 127 (दिल्ली अधिनियम 3, 2004) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल साईं सहकारी समुह आवास समिति (564/स.आ.) धारा 37(1)(ख) दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम 2003 (दिल्ली अधिनियम-3, 2004) के प्रावधानों से उन्मुक्त करते हैं, तथा प्रशासक के कार्यकाल की अवधि दिनांक 30-09-2011 अथवा लोकर्तात्रिक व्यवस्था बहाल होने, जो भी पहले हो तक बढ़ाई जाती है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के,

उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

वी. के. बेनीवाल, विशेष सचिव (सहकारिता)

No. F. 47/564/NW/GH/1188.—In exercise of powers conferred by Section 127 of Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (DelhiAct3 of 2004) the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby exempts the Sai Co-operative Group Housing Society Ltd (564/GH) from the provisions of Section 37(1)(b) of Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004) and accordingly extend the period of the Administrator of the said society upto 30-09-2011 or till the democratic setup is restored whichever is earlier.

> By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, V. K. BENIWAL, Special Secy. (Cooperation)